

बिहार विधान परिषद

(201वां मानसून सत्र)

30 जून 2022

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह] .

कुल प्रश्न 31

अन्य विकल्प कबतक

*99 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या लघु जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत रंगराचौक प्रखंड की मदरौनी पंचायत में कोशी बांध पर स्लूइस गेट के कार्य रूप में नहीं रहने के कारण जल-जमाव से खेती-किसानी स्थायी रूप से बाधित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पंचायत/गांव के कोशी बांध के भीतरी हिस्से से जल-निकासी हेतु स्लूइस गेट के अलावे अन्य विकल्प तलाशना चाहती है जो कृषक हित में हो, यदि नहीं तो क्यों ?

गाद की सफाई

*100 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नेपाल से निकलकर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी प्रखंड से बेनीपट्टी प्रखंड होते हुए बछराजा नदी अधवारा समूह की धौस नदी में मिलती है;

(ख) क्या यह सही है कि बारहों महीना जल प्रवाह के कारण नदी में कटाव होती आ रही है जिसके कारण देपुरा, डुमरा, दामोदरपुर गांव सहित नदी किनारे अवस्थित गांव में भारी तबाही हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि देपुरा गांव में कटाव के कारण आधी आर.डब्ल्यू.डी. (R.W.D.) की सड़कें नदी में विलीन हो गई हैं जिसके कारण सूरजनगर अनुसूचित जाति टोला और देपुरा गांववासी भयाक्रांत हैं;

(घ) क्या यह सही है कि नदी के कटाव एवं गाद जमा होने के कारण नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है;

(ड०) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बछराजा नदी को बचाने के लिए कटाव एवं गाद की सफाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*101 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड अंतर्गत कनौसी पंचायत के कोरियौना गांव में एक कब्रिस्तान (एक एकड़ 20 डिसमिल) स्थित है जिसका खाता संख्या 187 और खेसरा संख्या 285 है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी योजना अंतर्गत जब विजय ठेकेदार 28 मई 2022 को उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने गये तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कहा गया कि उक्त स्थान कब्रिस्तान नहीं अपितु गोवर्धन स्थान है;

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान से झंडे हटाकर नवनिर्मित स्थल को साफ-सुथरा कर दिया गया;

(घ) क्या यह सही है कि 4 जून 2022 को जब विजय ठेकेदार पुनः कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराने गए तो उनके साथ फिर वही बर्ताव किया गया और काम को कराने से रोक दिया गया;

(ड०) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त

कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य कराना चाहती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***102 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के बैरगनियां प्रखंड के अखता पश्चिमी पंचायत के बरवा टोला वार्ड नं.-03 में दो कब्रिस्तान हैं, जिनकी घेराबंदी अभी नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मेस का निर्माण

***103 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रों के लिए एक छात्रावास है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है;

(ग) क्या यह सही है कि इस छात्रावास में खाने के लिए मेस, पुस्तकालय तथा पत्र-पत्रिका एवं शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं रहने के कारण इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में मेस के निर्माण के साथ-साथ जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

समस्या का निराकरण

***104 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर स्थित बस एवं टैम्पो स्टैंड स्थायी नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर स्थायी बस एवं टैम्पो स्टैंड नहीं रहने के चलते यात्री वाहन जहां-तहां बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं जिससे यातायात अवरुद्ध होता है तथा आए दिन भीषण सड़क जाम की समस्या बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पर्यावरण संतुलन की क्षति

*105 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र स्थित सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के क्रम में हजारों पुराने पेड़ों की कटाई से शहर के पर्यावरण संतुलन को क्षति पहुंची है;

(ख) क्या यह सही है कि पर्यावरण संतुलन में हुई इस क्षति की भरपाई हेतु अबतक सड़क किनारे तथा शहर के मध्य नये पेड़-पौधे नहीं लगाये गए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यावरण संतुलन के लिए कबतक पेड़ लगाना चाहती है ?

जांच कर कार्रवाई कबतक

*106 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या वाणिज्य कर मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला कागजी फर्म के स्तर से कोयला का करोड़ों का व्यापार करके लाखों रुपये की टैक्स चोरी का मामला विभाग में आया है;

(ख) क्या यह सही है कि कोयला की कोई बिक्री नहीं होने के बावजूद कागज पर 73 करोड़ रुपये की बाहर सप्लाई दिखायी गयी है एवं टैक्स के रूप में एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच करवाकर टैक्स चोरी करने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नहर में पानी उपलब्ध कबतक

*107 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी में गंडक नहर के सहायक यमुनिया शाखा नहर के सुदृढ़ीकरण के समय बेड से मिट्टी निकालकर तटबंध पर भर दिये जाने के कारण नहर का बेड नीचे हो गया और शाखा एवं उप शाखा नहरों का बेड ऊपर हो गया जिसके कारण शाखा एवं उप शाखा नहरों में पानी नहीं जा पा रहा है, जिससे किसानों में त्राहिमाम है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यमुनिया शाखा नहर के बेड को दुरुस्त कर सभी शाखा एवं उप शाखा नहरों में पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

*108 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज शहर से गुजरने वाली लाइफ लाइन धाड़ी नदी, जो गंडक नदी के किनारे हीरा पाकड़ से निकलती है, का मुहाना बंद है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मुहाना को बंद कर पूरे नदी को अवैध ढंग से अतिक्रमित कर नाला बना दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हीरा पाकड़ से निकलने वाले उक्त मुहाना को अतिक्रमण मुक्त कर खोलने का विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नामकरण कबतक

***109 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला स्थित कवैया थाना वास्तव में जयनगर राजस्व ग्राम में अवस्थित है और आमजनों के द्वारा इसे कवैया थाना के नाम पर जयनगर थाना रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया है और सरकार के स्तर से पुलिस महानिरीक्षक स्तर से इसकी जांच भी कराई गई किंतु आजतक थाने का नाम जयनगर अधिसूचित नहीं किया गया;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कवैया थाना का नाम ऐतिहासिक जयनगर राजस्व ग्राम के नाम पर करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

वर्गीकरण कबतक

***110 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना पार्क प्रमंडल में मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में कुशल मजदूर, अर्द्ध कुशल मजदूर, अतिकुशल मजदूर का वर्गीकरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उन्हें वर्दी वगैरह की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त खंडों में उठाये गये सवालों का समाधान कबतक करना चाहती है ?

योजना का लाभ

***111 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बाल विकास परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, परंतु योजना का समुचित लाभ गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वंचित

गरीब परिवारों के सभी बच्चों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए एक ठोस कदम उठाने को विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

स्लुइस गेट का निर्माण

***112 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या लघु जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के पलार गांव में सुगरवे नदी पर स्लुइस गेट का निर्माण अधूरा है;

(ख) क्या यह सही है कि स्लुइस गेट का निर्माण आधा अधूरा करने के बाद कार्य बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के पलार गांव में सुगरवे नदी पर स्लुइस गेट का निर्माण पूर्ण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्थानांतरण कबतक

***113 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के केंद्रीय कारा उपाधीक्षक विगत छः वर्षों से कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इनके द्वारा गया कारा परिसर में स्थित कई हरे एवं मोटे पेड़ों को कटवा कर बेच दिया गया है, जिसकी सूचना वहां कार्यरत कर्मी द्वारा विभाग के बड़े अधिकारियों सहित कारा महानिरीक्षक को भी दिया गया है, परंतु उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्व में भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र इन पर लगे सभी आरोपों की जांच कराकर इन पर कार्रवाई करते हुए इनका स्थानांतरण अन्यत्र जिला में करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

समस्या से निजात कबतक

***114 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिला में वाया नदी एवं गंडक नदी से बरसात के मौसम में पानी गांवों में आकर भारी तबाही मचाता है;

(ख) क्या यह सही है कि नहरों में गाद भरे रहने के कारण पानी वापस नहीं निकल पाता है जिससे कृषि योग्य भूमि का उपयोग छः महीने तक नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहेगी कि वैशाली जिला के प्रभावित गांवों को इस समस्या से वह कबतक निजात दिलाएगी ?

कौन-सी कार्रवाई

***115 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **श्रम संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पोर्टल में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हजारों में है;

(ख) क्या यह सही है कि पोर्टल में पंजीकृत बेरोजगारों में से 73 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आंकड़े बताने को पोर्टल में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों में बड़ी संख्या में निरक्षर लोग शामिल हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि इस दिशा में वह कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बरनार जलाशय योजना

***116 श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बौका स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिला के सोनो प्रखंड अंतर्गत बरनार जलाशय योजना प्रस्तावित है;

(ख) क्या यह सही है कि बरनार जलाशय योजना बनने से हजारों गांवों के किसानों की भूमि की सिंचाई सम्पन्न हो सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसे बनवाना चाहेंगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जल निकासी की व्यवस्था

*117 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत बेतिया डीह पंचायत के जोकहां गांव के दक्षिण एवं उत्तर में अवस्थित हजारों एकड़ भूमि में वर्षा के दिनों में जल जमाव के कारण किसान कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं और जल जमाव की स्थिति पूरे 10 महीनों तक बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि इस जल जमाव के कारण जोकहां, श्रीनगर, धुरवा, खैरटीया, गुरवलिया, तुनिया, कुड़वा मठिया, तुरहापट्टी एवं बानछापर आदि क्षेत्र के किसान हरेक वर्ष अभिशप्त जीवन जीने को विवश हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसान हित में वर्णित भू-भाग से जल-निकासी की कोई ठोस एवं कारगर व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अपेक्षित कदम

*118 श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड की कुनौली पंचायत में स्थित सीमा सुरक्षा बांध क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात में कुनौली, कमलपुर और डगमारा पंचायत पर बाढ़ का खतरा बना रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि नेपाल प्रक्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में कुनौली में प्रवेश करने वाली नदियों के मुहाने पर सिलटेशन होने के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलप्लावित होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समस्या के निदान के लिए अपेक्षित कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि योजना

*119 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत “सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना” चलाई जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि “सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना” के द्वारा सिविल सेवा में राज्य की सामान्य और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सहायता दी जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदन को अवगत कराना चाहती है कि 2020 में संघ लोक सेवा आयोग में सफलता प्राप्त करने वाली कितनी लड़कियों को “सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना” का लाभ मिला ?

नियुक्ति प्रक्रिया कबतक

*120 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर श्रेणी के लगभग 65 प्रतिशत, डीएसपी श्रेणी के 02 (दो) पद एवं डीएसपी यातायात श्रेणी का 01 (एक) के पद रिक्त है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड (क) में वर्णित जिला में पुलिस पदाधिकारियों के पद रिक्त रहने के कारण सुरक्षा व्यवस्था में काफी कमी महसूस की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (क) में

वर्णित पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बाढ़ एवं जलजमाव से निजात

*121 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिले का हनुमान नगर प्रखंड बागमती एवं इसकी सहायक नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलने को अभिशप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ के कारण जान-माल की अपूरणीय क्षति होती है एवं बाढ़ की समाप्ति के बाद जलजमाव के कारण रबी फसल भी नहीं हो पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ और फिर जलजमाव खासकर पटोरी, गोढेला, रुपौली, गोदाइपट्टी, मोरो आदि गांव के चौर से जल निकासी हेतु कोई ठोस निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

समस्या का समाधान

*122 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण के नरकटियागंज अनुमंडल के (हरदिया गांव) तुफानी टोला में एक भी संप हाउस नहीं है जिसके कारण वहां के हजारों दलित परिवारों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारों परिवारों के हित में समस्या का समाधान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चेकडैम का जीर्णोद्धार

*123 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के धोड़ी जरा में लगभग तीस वर्ष पूर्व चेक डैम का निर्माण कराया गया था जिससे इसके आसपास के गांव के किसानों को सिंचाई में काफी मदद मिलती है;

(ख) क्या यह सही है कि धोड़ी जरा चेक डैम की स्थिति जर्जर हो चुकी है और सरकारी उदासीनता के कारण वह टूट कर बिखर गया है;

(ग) क्या यह सही है कि शेरघाटी प्रखंड के पंचायत कचौड़ी एवं उसके आसपास के गांव यथा गरीब चक महदीपुर, मोदनीपुर, पूर्णाडीह निमाखाप, नौकीडीह, पड़रीया, कोईलखाय, हसनपुर, राजपुर इत्यादि के किसानों को पटवन की गंभीर समस्या रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित चेक डैम का जीर्णोद्धार करते हुए खंड 'ख' में वर्णित गांव को उससे जोड़ना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पठन-पाठन की व्यवस्था

*124 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के पंचायत धुरगांव के ग्राम-अतरामचक वार्ड नं.- 09 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण बहुत पहले कराया जा चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र किसी व्यक्ति विशेष के कब्जे में रहने के कारण बच्चों का पठन-पाठन कार्य बाधित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

चैनल का निर्माण

*125 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या लघु जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के डुमरिया प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के गोवरदाहा बांध एवं पईन की कुल लम्बाई 560 मीटर है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पईन पर मात्र 200 मीटर पर ही चैनल का निर्माण किया जा रहा है शेष 360 मीटर को छोड़ दिया गया है जिस कारण काफी परेशानी हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे 560 मीटर पर चैनल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

उडाही एवं साफ-सफाई

*126 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड में मरहा नदी के भर जाने के कारण कुम्हा, भुजोलिया, बेलेहिया, मुकरोलिया, रघोर, पर्सा, शंकरपुर, मनतार ग्राम की हजारों एकड़ जमीन में सालों भर पानी भरा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में पानी भरे रहने के कारण किसान फसल नहीं उगा पाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मरहा नदी की उडाही एवं साफ-सफाई कराना चाहती है ताकि पानी का बहाव चालू हो जाए, नहीं तो क्यों ?

नहर की उडाही

*127 श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढ़ी स्थानीय प्राधिकार):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत रघुवंश नहर की उडाही नहीं होने के कारण जिले के शिवहर, पिपराही, तरियानी प्रखंडों के किसानों के जमीन की सिंचाई प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त

रघुवंश नहर की उड़ाही का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पईन का जीर्णोद्धार

***128 Mr. C.P. Sinha alias Chandeshwar Pd. Sinha (Legislative Assembly):**

Will the **Minor Irrigation** be pleased to state क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि नालंदा जिला अंतर्गत वेन प्रखंड स्थित ग्राम-मैजरा में पईन के जीर्णोद्धार हेतु ग्रामीणों के अनेकों बार आवेदन देने के बावजूद अब तक पईन का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है ; (ख) क्या यह सही है कि उक्त पईन का जीर्णोद्धार कराने हेतु जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में फरियादी के अनुरोध पर लघु जल संसाधन विभाग का पत्रांक-801 (मो.) दिनांक:- 13.08.2021 द्वारा प्रतिवेदन किया गया था कि मार्च 2022 तक इसका कार्यान्वयन करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिम्मेवार पदाधिकारी पर इसके लिए कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

***129 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत ग्राम- पीर बिगहा, थाना- चाकन्द की निवासी, बीबी रौशन खातून, पति- मो. मुस्लिम मियां से इसी मुहल्ले के (1) मो. इस्लाम उर्फ मंतु, पिता- स्व. करीम मियां, (2) मो. एजाज, मो. खालिद, मो. फरीद, पिता- मो. इस्लाम, (3) मो. जीशान, पिता- मो. मुन्ना, (4) मो. नदीम, पिता- मो. सुपन द्वारा दिनांक:-04.05.2022 को बीबी रौशन खातून से मारपीट एवं झगड़ा-झंझट किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बीबी रौशन खातून के द्वारा मारपीट करने से संबंधित चाकन्द थाना में कांड संख्या- 116/22, दिनांक:- 10.05.2022 दर्ज किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि लगभग एक माह का समय बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि बीबी रौशन खातून के पुत्र मो. बसीर को मारपीट करने के क्रम में सिर फोड़ दिया गया जिससे संबंधित जख्म प्रतिवेदन भी डॉक्टर द्वारा दिया गया है तथा दिनांक:- 10.06.2022 को गया पुलिस अधीक्षक को आवेदन भी दिया गया है;

(ङ०) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चाकन्द थाना

कांड संख्या- 116/22, दिनांक:- 10.05.2022 में दर्ज मुख्य अभियुक्तों की अविलम्ब गिरफ्तारी कर अग्रतर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यो ?
